

विक्रय अनुबन्ध विलेख बिला कब्जा

1. प्रथम पक्ष :- श्री नसीम अहमद पुत्र श्री यासीन व श्रीमती नौशाद बानो पत्नी श्री नसीम अहमद निवासीगण मौहल्ला शीशग्रान कस्बा किरतपुर परगना खास तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर। मोबाइल नम्बर 7906186828, पैनकार्ड नं० AKSPN5882B, EVEPB3319G

2. द्वितीय पक्ष :- श्रीमती जेबा रऊफ पत्नी श्री मुकीम अहमद निवासी 25, आवास विकास कालोनी, बुलन्दशहर रोड, हापुड, जिला हापुड मोबाइल नम्बर 6395482258 पैनकार्ड नं० DASPR5177L

3. प्रतिफल :- 15,84,000 /-

4. अग्रिम धनराशि :- 5,00,000 /- बकाया धनराशि : 10,84,000 /-

5. स्टाम्प :- 100 /- स्टाम्प नं० :- **IN-UP33919183158521W**

6. किते :- क्षेत्रफल :- 352 वर्गगज 8. खसरा नं० :- 256

9. स्थित ग्राम/मौहल्ला :- अदब सिटी (अलीपुरा) परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर

10. सम्पत्ति प्राप्ति का श्रोत :- बैनामा द० नं० 383 दिनांकित 11.01.2021

नौशाद बानो

Nasim Ahmad

KHURSHID ALAM (ADV.)
NOTARY
NAJIBABAD (BIJNOR) U.P.

जो कि प्रथम पक्ष ने अपने पूर्ण स्वामित्व की सम्पत्ति विवरण निम्नलिखित के विक्रय का अनुबन्ध द्वितीय पक्ष से मु० 15,84,000/- रूपयें में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया है, जिनके पक्षगण एवं उनके उत्तराधिकारीगण पाबन्द रहेंगे।

(1) यह कि प्रथम पक्ष ने अग्रिम धनराशि के रूप में मुबलिग रूपयें 5,00,000/- इस प्रकार कि मुबलिग रूपयें 3,00,000/- बजरिये एन०ई०एफ०टी० संख्या SBIN0000682 दिनांक 24.06.2024 व मुबलिग रूपये 2,00,000/- बजरिये आर०टी०जी०एस० संख्या SBINR52024060126480227 दिनांक 01.06.2024 क्रेता से प्राप्त कर लिये है।

(2) यह कि विक्रय लेखपत्र निष्पादित कर रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.12.2024 तक तय पायी है।

(3) यह कि प्रथम पक्ष नियत अवधि के भीतर विक्रय लेखपत्र द्वितीय पक्ष के हक में निष्पादित कर रजिस्ट्री हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी शेष कुल मूल्य राशि लेखपत्र के सम्पादन से पूर्व /वक्त रजिस्ट्री प्राप्त कर लेगा और विक्रय लेखपत्र की रजिस्ट्री करा देगा। विक्रय लेखपत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

(4) यह कि यदि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध से हट नियत अवधि के उपरोक्त के भीतर विक्रय लेखपत्र द्वितीय पक्ष के हक में निष्पादित कर रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत न करे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह सक्षम न्यायालय में इस सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर अपने पक्ष में न्यायालय द्वारा बैनामा करा लें। तथा वाद सम्बन्धी व्यय प्रथम पक्ष की शेष मूल्य राशि से मुजरा कर ले। यदि उससे पूरा न हो तो उसकी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल के लें। जिससे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

मोशाह खानो

Nasim Ahmad

KHURSHID ALAM (ADV.)
NOTARY
NAJIBABAD (BIJNOR) U.P.

आर0टी0जी0एस0 सं0 SBINR52024060126480227 दिनांक 01.06.2024
दो लाख रूपये व तीन लाख रूपये एन0एफ0टी0 सं0 SBIN40000681
दिनांक 31.12.2024 विक्रेता के खाता सं0 50100383537426
एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा नजीबाबाद जिला बिजनौर में समक्ष गवाहान
विक्रेता को प्राप्त कराया जा चुका है। जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है
तथा तयशुदा शेष धनराशि 10,84,000 /—(दस लाख चौरासी हजार) रूपये
वरवक्त बैनामा प्राप्त करूँगा।

/3/

6. यह कि क्रेता जेबा रूऊफ को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उपरोक्त
भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त होते ही शेष धनराशि 10,84,000 /—(दस लाख
चौरासी हजार रूपये) क्रेता द्वितीयपक्ष विक्रेता प्रथमपक्ष को अदा कर उक्त अनुबन्धित
भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित करा लेगी। प्रथमपक्ष इसमें कोई अवरोध नहीं

7. यह कि उक्त तयशुदा भूमि हर तरह से पाक साफ है तथा हर प्रकार के बन्धक
गिरवी, जमानत अथवा भार आदि से पूर्णतया मुक्त है। यदि इस पर किसी प्रकार
का बन्धक, गिरवी, जमानत अथवा भार आदि पाया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण
जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता की होगी तथा क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना
सम्पूर्ण प्रतिफल व हर्जा-खर्जा विक्रेता प्रथमपक्ष से वसूल कर लेगी।

8. यह कि रजिस्ट्री बैनामा का खर्च स्टाम्प, रजिस्ट्री फीस जिम्मेदारी क्रेता की
होगी।

9. यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र की शर्तों के पाबन्द क्रेता व विक्रेता तथा उनके
वारिसान भी होंगे।

10. यह कि यह इकरारनामा खूब सोच समझकर पढ़कर बिना किसी जोर दबाव
के रूबरू गवाहन अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बना दिये है कि सनद रहे और
वक्त जरूरत पर काम आवें। इस अनुबन्ध पत्र की वैधता चार माह तक रहेगी।

नीशाद बानो

Nasim Ahmad

KHURSHID ALAM (ADV.)
NOTARY
NAJIBABAD (BIJNOR) U.P.

1- विदित हो कि हम मुकिरा आराजी निम्न के असल काश्तकार संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज हूँ, उसे विक्रय/दान आदि करने का पूर्ण अधिकारी हूँ। हम मुकिरा को इस समय रूपये की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति बिना भूमि विक्रय किया जाना सम्भव नहीं है। जिसके विक्रय हेतु तमाम लोगो से बात-चीत की जिसमें सबसे अधिक कीमत क्रेता/द्वितीयपक्ष देने को तैयार व रजामन्द हुए यह कीमत वाजिब व माकूल है।

2. यह कि क्रेता श्रीमति जेबा रऊफ पत्नी श्री मुकीम अहमद एड्रीशनर सिविल जज (सीनियर डिविजन) ए0सी0जी0एम0 न्यू कोर्ट नं0- 2 मुरादाबाद। विक्रेता प्रथमपक्ष से उक्त भूमि को क्रय करने के लिए क्रेता/द्वितीयपक्ष जेबा रऊफ को माननीय न्यायालय इलाहाबाद से अनुमति की आवश्यकता है, परन्तु हम मुकिरा ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से आग्रह किया कि वह हम मुकिरा को कुछ रूपया बतौर बयाना अपने हक में इकरारनामा बैनामा तहरीर करा लेवें तथा शेष बकाया धनराशि अपने हक में बैनामा करा लेगें, जिस पर क्रेता/द्वितीय पक्ष राजी हो गये।

3. यह कि हम मुकिर स्वस्थ मस्तिष्क से समझ व पढ़कर बिना दबाव के गाटा सं0 256 में से 292.15है0 तहसील व जनपद बिजनौर बाएवज 15,84,000/- (पन्द्रह लाख चौरासी हजार) रूपये मात्र में बाहक क्रेता द्वितीयपक्ष तहरीर व तकमील करके यह घोषणा करता हूँ कि आज से उक्त भूमि के विक्रय दान, बन्धन आदि की बाबत लिखा-पढ़ी व बात-चीत किसी दीगर के हक में नहीं करूँगा।

4. यह कि हम मुकिर क्रेता को आज कब्जा दखल नहीं दे रहा हूँ। कब्जा बैनामा करने के बाद ही दूँगा। यदि हम मुकिर बैनामा करके कब्जा दखल देने से इन्कार करते हैं तो क्रेता को यह हक होगा कि जरिये अदालत बैनामा करा ले या अपना कुल असल रूपया मय सूद खर्चा प्राप्त कर लें।

1. यह कि उक्त भूमि कुल तय शुदा कीमत मु0रू0 15,84,000/- (पन्द्रह लाख चौरासी हजार रूपये मात्र) है, जिसमें से क्रेता जेबा रऊफ ने

नासिम अहमद

Nasim Ahmad

KHURSHID ALAM (ADV.)
NOTARY
NAJIBABAD (BIJNOR) U.P.

(5) कब्जा बरवक्त बैनामा होगा।

(6) यह कि द्वितीय पक्ष स्वयं ही इस अनुबंध का उल्लंघन करे, नियत अवधि उपरोक्त के भीतर शेष मूल्य राशि अदा न करे और बैनामा न करावे तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा दी गयी अग्रिम धनराशि प्रथम पक्ष के हक में जब्त हो जावेगी।

अतः उभय पक्ष ने अपने-अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की दशा में विक्रय हेतु यह अनुबन्ध लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता पर काम आये।

(7) चौहद्दी-

पूरब- रास्ता 20 फिट चौड़ा

पश्चिम- दुकान जैनुल


उत्तर- रास्ता 15 फिट चौड़ा

दक्षिण- दुकान अन्य

विवरण सम्पत्ति:- आवासीय भूमि पैमाईशी जानिब पूरब 35 फिट 6 इंच जानिब पश्चिम 34 फिट 6 इंच जानिब उत्तर 99 फिट जानिब फिट 90 फिट 3 इंच कुल क्षेत्रफल 295.15 वर्गमीटर जिसको संलग्न नक्शे मे डायगोनल के विस्तार से दर्शाया गया है वाके अदब सिटी (अलीपुरा) परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर।

मैशाहदानो
Nasim Ahmad

KHURSHID ALAM (ADV.)
05/8/14
NOTARY
NAJIBABAD (BUNOR) U.P.



फोटो प्रमाणित पक्षकारों व गवाहान के श्री शहजाद आलम एड० सिविल कोर्ट
कम्पाउण्ड नजीबाबाद के द्वारा संलग्न व चस्पा है।



KHURSHID ALAM ADV.
Notary
Regd. No. 64/2018
NAJIBABAD

साक्षी नं० 1- Faisal

मौ० फैसल पुत्र मौ० हाशिम
निवासी मौहल्ला किला कस्बा
साहंसपुर तहसील नजीबाबाद
जिला बिजनौर



KHURSHID ALAM ADV.
Notary
Regd. No. 64/2018
NAJIBABAD

साक्षी नं० 2- Imran

मौ० इमरान पुत्र वरीसुददीन
निवासी ग्राम खौसपुरा परगना
नहतौर तहसील धामपुर
जिला बिजनौर

पक्षकारों के निर्देशानुसार लिखा गया है।

मौशद खानो
Nasim Ahmad

Shel.
KHURSHID ALAM (ADV.)
NOTARY
NAJIBABAD (BIJNOR) U.P.

158
20/11/2018
NOTARY
Govt. of India
Khurshid
Najibabad
Regd. No. 64/2018